उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर जिले के स्ववित्तपोषित (प्राइवेट) महाविद्यालयों में शिक्षक-प्रशिक्षण की दशा - एक झलक

राजेश कुमार श्रीवास्तव*

आज भी भारतीय समाज में शिक्षक को माता-पिता से भी उच्च स्थान दिया जाता है क्योंकि वह अपने शिशु का ज्ञानरूपी चक्षु खोलता है और उसके आचरण में परिवर्तन लाता है। अध्यापक ही है जो छात्रों को सजाता-सँवारता है और उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाता है। शिक्षक के संदर्भ में उपरोक्त बातें प्राचीन समय में कही गयी थीं। परंतु प्राचीनतम बातें आज भी कहीं न कहीं अवश्य विद्यमान हैं। इसको आगे विकसित करने की ज़रूरत है। हालांकि आज शिक्षक शिक्षा का जो परिदृश्य है उसमें इनका विकसित होना संभव नहीं दिखता है। आज कुकुरमुत्ते की तरह पनपते तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के सपने को रौंदते हुए स्ववित्तपोषित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय यह सोचने पर विवश करते हैं कि क्या हम उपरोक्त विदित बातों के अनुसार शिक्षकों को तैयार कर रहे हैं जो हमारे समाज को आगे ले जाएँ।

शिक्षा मानव का विकास करती है। शिक्षा प्रत्येक देश के सकल घरेलू उत्पाद व सकल राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ाने में भी योगदान देती है। स्ववित्तपोषित कॉलेजों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की चुनौतियाँ हमसे प्रश्न पूछती हुई प्रतीत होती हैं- क्या हम अपने जी.डी.पी. व जी.एन.पी को इसी कृत्रिम गुणवत्ता के साथ बढ़ाएँगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान जो विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं, क्या वे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् व विश्वविद्यालयों के मानकों का पालन कर रहे हैं? अगर इसी प्रकार मानकों की धाज्जियाँ उड़ाई गईं तो हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? क्या उन्हें ये संस्थान शिक्षा के आदर्श मूल्यों एवं गुणों का अंकुर छात्रों के अंदर भर पाएँगे?

**प्रवक्ता*, बी.एड. संकाय, श्री वंशी बाल गोपाल महाविद्यालय, सगरा-राजूपुर, पोस्ट सम्मनपुर, जिला गाजीपुर-233001

किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके अध्यापकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यही कारण है कि अध्यापन को सर्वोत्तम व्यवसाय की संज्ञा दी जाती है, लेकिन विडम्बना यह है कि अध्यापन सबसे अधिक अनाकर्षित व्यवसाय के रूप में देखा जाता है तथा समाज में अध्यापक की स्थिति सम्मानजनक नहीं है। अपने देश में अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार द्वारा अध्यापन को फिर वह सम्मानजनक स्थिति प्राप्त हो सकती है। सम्भवत: यही कारण है कि ''अध्यापकों की व्यवसायिक शिक्षा के स्वस्थ कार्यक्रम की प्रस्तुति हेतु संस्तुति की जाती है।'' कोठारी आयोग (1966) की समालोचना में लिखा है कि अध्यापक शिक्षा में लगायी गयी विनियोजित पूँजी अच्छा लाभांश देती है, क्योंकि आवश्यक वित्तीय संसाधनों को जब हम करोड़ों लोगों की शिक्षा में सुधार की तुलना से नापते हैं, तो वे आवश्यक संसाधन उत्पादन की तुलना में बहुत छोटे प्रतीत होते हैं। अन्य प्रभावों की अनुपस्थिति में एक अध्यापक उसी परंपरावादी ढंग से अध्यापन करता है या करना चाहता है, जिस ढंग से उसके प्रिय अध्यापक द्वारा उसे पढ़ाया जाता है। आज की वर्तमान परिस्थितियों में इसी तरह की परंपरावादी अध्यापक की प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं जबकि आज अनुदेशन की नवीन एवं गत्यात्मक विधियों की आवश्यकता है और इस तरह के ये दृष्टिकोण प्रगति को बाधित करते हैं, और इसे प्रभावपूर्ण व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा परिष्कृत किया जा सकता है जो अध्यापक को अध्यापन के लिए आवश्यक क्रांति के लिए प्रेरित करेगी तथा उसके भावी विकास के लिए आधार का कार्य करेगी।

शिक्षक-प्रशिक्षण का अर्थ

सन् 1911 में लंदन के रोज़गार विभाग द्वारा प्रकाशित प्रशिक्षण के कठिन शब्दों की सूची में इस शब्द को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है एवं इसकी व्याख्या की गई है – *''किसी दिये गये कार्य को उचित ढंग से संपादित करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण (अभिवृत्ति), ज्ञान, कौशल एवं व्यवहार के क्रमबद्ध विकास का नाम प्रशिक्षण है।''*

प्रशिक्षण किसी कार्य के उचित संपादन के लिए आवश्यक विशिष्ट ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल एवं व्यवहार के विकास पर बल देता है। यह व्यवहार एक कार्य से दूसरे कार्य के लिए अलग-अलग होता है। यदि हम किसी व्यक्ति को अध्यापक के रूप में प्रशिक्षित करते हैं तो हम उसके उन कौशलों का विकास करते हैं, जो उस व्यक्ति के लिए एक अच्छा अध्यापक होने के लिए आवश्यक हैं।

प्रशिक्षण का उद्देश्य किसी व्यवसाय विशेष में निपुणता प्राप्त करना है, जिसके लिए व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण का संबंध अधिगम से होता है ताकि कार्य का संपादन उचित प्रकार से विशिष्टता के साथ किया जा सके।

अध्यापक को अपने विषय में पारंगत होना चाहिए साथ ही साथ उसे अध्यापन की विधियों एवं प्रविधियों तथा उन घटकों का भी ज्ञान होना

चाहिए जो अध्यापन को प्रभावित करती हैं। अध्यापक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। प्रशिक्षण के लिए यह भी जानना आवश्यक होता है कि कार्य की प्रकृति के अनुसार ज्ञान का कौन-सा भाग आवश्यक है।

शिक्षक-प्रशिक्षण की आवश्यकता

कुछ लोगों का यह मानना है कि शिक्षक-प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल विषय में निपुणता प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों के शिक्षण में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है परंतु यह सत्य नहीं है। प्रशिक्षित अध्यापक अप्रशिक्षित अध्यापक की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं जो कि विभिन्न अध्ययनों के परिणामों से सिद्ध होता है। प्रशिक्षित अध्यापक के प्रभावी ढंग से कार्य न करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे- व्यवसाय की माँग, उद्देश्य तथा अध्यापक से अपेक्षाएँ शिक्षक-प्रशिक्षण के अस्तित्व को प्रमाणित करती है।

विषय में प्रवीणता तथा विषयवस्तु का छात्रों तक संप्रेषण दो अलग-अलग दक्षताएँ हैं। विषय-वस्तु का प्रभावी ढंग से छात्रों तक संप्रेषण कई कौशलों पर निर्भर करता है, जैसे - प्रश्न पूछने का कौशल, स्पष्टीकरण, प्रदर्शन तथा व्याख्या। दूसरे कौशल जिनकी आवश्यकता संप्रेषण में होती है, विषयवस्तु का व्यवस्थापन एवं उनका तर्कपूर्ण शृंखलाबद्ध प्रस्तुतीकरण।

शिक्षण केवल कथन अथवा विषयवस्तु का ज्ञान दूसरों को प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि व्यापक अर्थ में शिक्षण का उद्देश्य छात्र के व्यक्तित्व का समस्त विकास है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अध्यापकों को बताया जाना चाहिए, जैसे अध्यापक के दायित्व और कर्तव्य। अध्यापकों में अपेक्षित कौशल अथवा अभिवृत्ति तभी विकसित हो सकती है, जबकि उन्हें क्रमबद्ध प्रशिक्षण दिया जाए। इस प्रकार इन कौशलों एवं अभिवृत्तियों की प्राप्ति के लिए प्रणालीबद्ध ज्ञान की आवश्यकता होती है और इसके लिए प्रशिक्षण आवश्यक है।

जब तक किसी व्यक्ति का अपने विद्यार्थियों तथा अपने व्यवसाय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है, तब तक उसके लिए उपरोक्त ज्ञान व कौशल जो कि अध्यापक के लिए आवश्यक है, पूर्णरूपेण सार्थक नहीं हो पाते। अभिवृत्ति का विकास अनुभवों से होता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र अध्यापकों को ऐसे अनुभव प्रदान किये जाते हैं, जिसके द्वारा वे अपने छात्रों और अपने व्यवसाय के प्रति धनात्मक अभिवृत्ति विकसित करते हैं।

कौशल के लिए अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। कुछ विशिष्ट कौशल ऐसे हैं, जो अध्यापक प्रशिक्षार्थियों में विकसित किये जाने आवश्यक होते हैं और इनका विकास शिक्षक-प्रशिक्षण के क्रमबद्ध कार्यक्रम के द्वारा सम्पन्न किया जा सकता है।

इसीलिए शिक्षक-प्रशिक्षण के कुछ सैद्धांतिक आधार हैं। प्रशिक्षण के द्वारा अध्यापकों में तकनीकी ज्ञान तथा कौशल का विकास किया जा सकता है इसलिए प्रत्येक शिक्षक के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के शिक्षक-प्रशिक्षण की दशा का अध्ययन करना।
2. स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत् प्राध्यापकों की दशा का अध्ययन करना।
3. स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में प्रशिक्षणरत् छात्र-अध्यापकों की दशा का अनुमान लगाना।
4. स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की शैक्षिक सुविधाओं का अध्ययन करना।
5. स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के संबंध में आलोचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करना।

शोध विधि

1. प्रस्तुत अध्ययन अवलोकन व साक्षात्कार के आधार पर किया गया है। शोधकर्ता ने लगभग 20 स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों का स्वयं जाकर अध्ययन किया तथा इन महाविद्यालयों से जुड़े प्राध्यापकों के साथ साक्षात्कार किया।
2. अध्यापक शिक्षा के संबंध में संपूर्ण अवलोकन व साक्षात्कार का गहन अध्ययन कर शिक्षा संबंधी विचारों पर चिंतन और चिंतन की आलोचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत की। स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्यापक-शिक्षा आज की ज्वलन्त समस्याओं में से एक है, जिसका हल ढूँढ़ा जाना अत्यंत आवश्वक है। स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक कहाँ तक समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण कर पायेगा, इस पर शीघ्र ही विचार करने की ज़रूरत है।

स्ववितपोषित महाविद्यालयों में शिक्षक-प्रशिक्षण की दशा

''भूतपूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 59वीं सभा में कहा- 'शिक्षक उतने शिक्षित नहीं हैं जितने होने चाहिए'। तथा इस बात पर ज़ोर दिया कि शिक्षण-व्यवसाय में प्रतिभावान लोगों की आवश्यकता है।''[1]

उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर जिले में लगभग बीस बी.एड. प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं जो ऐसे अध्यापकों को तैयार कर रहे हैं जो आज के संदर्भ में कितने प्रभावशाली होंगे, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। इन महाविद्यालयों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा संस्थान, जयपुर (राजस्थान) तथा उत्तर प्रदेश राज्य के उच्च शिक्षा विभाग से स्थायी मान्यता प्राप्त है। इन महाविद्यालयों में कागज़ी रूप से बी.एड. प्रशिक्षकों का अभाव नहीं है। कागज़ी तौर पर इनके पास प्रत्येक महाविद्यालय में प्रशिक्षण देने वाले सात प्रशिक्षक तथा एक विभागाध्यक्ष व अन्य स्टाफ चार की संख्या में हैं परंतु वास्तव में यहाँ पर शिक्षक तो हैं ही नहीं। जो शिक्षक हैं भी तो वे इंटर, स्नातक व परास्नातक हैं, जो छात्रों की जिज्ञासाओं को शांत करने में अक्षम हैं।

1.सिब्बल, कपिल-टीचर्स नॉट एज़ एजुकेटेड एज़ नीडेड, *एजुट्रेक्स*, जुलाई 2012, 11, (11), पृ. 52

इन संस्थानों में एक ही बिल्डिंग में बहुतायत पाठ्यक्रम, जैसे- स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.एड. व बी.टी.सी. एवं आई.टी.आई., पॉलिटक्नीक आदि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश ने स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के बढ़े खर्च को देखते हुए पिछले वर्ष बी.एड. प्रशिक्षण की फीस 29,500/- रुपये से बढ़ाकर 51,250/- रुपये कर दी तथा वर्तमान सत्र 2013-14 की फीस उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश ने 72,000/- रुपये कर दी है। इतनी अधिक फीस हो जाने के बावजूद भी महाविद्यालयों के शैक्षिक संसाधनों में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। 72,000/- रुपये देने के बावजूद भी छात्र/छात्राओं से तीस हज़ार से चालीस हज़ार रुपये अधिक लिए जाते हैं जिस कारण छात्रों का बी.एड. के प्रति रुझान कम हो गया है और जो प्रशिक्षण प्राप्त करने आते भी हैं उनको अपनी फीस हेतु कर्ज लेने पर विवश होना पड़ता है। बी.एड. कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वाले विद्यार्थियों से फीस लेने का प्रावधान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं है परंतु इन स्ववित्तपोषित कालेजों द्वारा इन विद्यार्थियों से जबरन फीस वसूली जाती है।

फ़ीस बढ़ाने के प्रस्ताव में इन महाविद्यालयों ने महाविद्यालय में नियुक्त सात प्राध्यापकों व एक विभागाध्यक्ष को लगभग 35000/- व 50,000/- रुपये वेतन का भुगतान करने का आधार बनाया था जिस विवरण का प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) के पास मौजूद है, पर वास्तव में उन्हें सात से आठ हज़ार रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। कभी-कभी विश्वविद्यालय द्वारा अध्यापक के दिए गए वेतन का भुगतान व उसका बैंक स्टेटमेंट आदि विवरण माँगा जाता है तो ये महाविद्यालय बैकों में फ़र्जी खाता खोलकर (नाम प्राध्यापक का तथा फोटो व हस्ताक्षर उनके खास परिचित व्यक्ति का) बैंक स्टेटमेंट निकलवाकर अपने मानक की पूर्ति कर लेते हैं। देश के अन्य राज्यों, जैसे- मध्य प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा में बी.एड. करने वाले छात्रों की फीस इतनी अधिक नहीं है जितनी की उत्तर प्रदेश के बी.एड. छात्रों की। महाविद्यालयों को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है बल्कि ये कक्षाओं का संचालन किसी तरह से इसलिए कराते हैं कि जो छात्र महाविद्यालय नहीं आ सके उनसे पाँच सौ रुपया प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क लिया जा सके तथा जो महाविद्यालय में कभी नहीं आते हैं उनसे बीस हज़ार से चालीस हज़ार रुपये का ठेका लिया जा सके। इस प्रकार ये महाविद्यालय अध्यापक शिक्षा का व्यवसायीकरण करते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, जयपुर (राजस्थान) द्वारा अगर कोई प्रतिनिधि पैनल हेतु नियुक्त होकर आता भी है तो वे पैनल हेतु अपने आसपास के कालेजों से शैक्षिक सामग्री व अन्य शैक्षिक तकनीकी उपकरण इधर-उधर से जुटा लेते हैं या भाड़े पर लेकर कक्ष को सजा-सँवार देते हैं। इसके साथ ही निरीक्षणकर्ता को मोटी रकम देकर अपने पक्ष की रिपोर्ट बनवाकर एन. सी.टी.ई. भेज देते हैं। इस प्रकार उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है लेकिन समाज की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है।

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश ने 2011 में यह आदेश जारी किया कि सभी शासकीय सहायताप्राप्त कालेजों के स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में आय का अस्सी प्रतिशत हिस्सा शिक्षकों पर खर्च किया जाए परंतु यह आदेश सिर्फ सहायता प्राप्त स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों पर लागू हुआ। यह आदेश स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों पर लागू नहीं हुआ।[2]

जिस कारण प्राध्यापकों की दयनीय स्थिति सुधरते नहीं बनती है। कहने को तो वे बी.एड. प्रशिक्षण संस्थान के प्राध्यापक हैं पर उनका वेतन व स्तर मानकों के अनुरूप नहीं है। स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों द्वारा जो शिक्षक उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने की कोशिश करता है उनको तरह-तरह से इन माफियाओं द्वारा धमकी दी जाती है तथा उनका वेतन रोक दिया जाता है। अधिकारियों से शिकायत करने पर ये वहाँ के क्लर्कों को पैसा देकर आवेदन-पत्र को दबवा देते हैं। अध्यापक लड़ें तो उन्हें न्याय ज़रूर मिलता है लेकिन अगर अध्यापक लड़े तो वेतन भुगतान नहीं होने की वजह से उसे तथा उसके परिवार को भुखमरी का शिकार होना पड़ता है। शोधकर्ता स्वयं एक स्ववित्तपोषित महाविद्यालय का भुक्तभोगी है।

स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के माफियाओं की इतनी चलती है कि एम.ए., एम.एड. 55 प्रतिशत प्रवक्ता की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित की गई है परंतु इन स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबंधकों ने एक साल की प्रवक्ता की नियुक्ति को पाँच साल तक बढ़वा लिया तथा कुछ प्रवक्ताओं की आवश्यक योग्यता के प्रतिशत में भी कमी देखी गयी है तथा विभागाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए एम.ए. व एम. एड. तथा पीएच.डी. 55 प्रतिशत के साथ आवश्यक योग्यता है। कहीं-कहीं यह पाया गया है कि इसमें मानक के अनुसार 55 प्रतिशत से कम अंक एम.ए. व एम.एड. में इन विभागाध्यक्षों के हैं।[3]

अध्यापक-प्रशिक्षण देने वाली कक्षाओं में बिजली, पानी व प्रसाधन आदि की सुविधाएँ नहीं हैं जहाँ एक साथ 10 छात्राध्यापक/छात्राध्यापिकाएँ प्रसाधन जा सकें, प्रसाधन हैं भी तो एक या दो।

प्रसाधन हेतु छात्र/छात्राओं को खुले में जाने को विवश होना पड़ता है। अधिकतर महाविद्यालयों की कक्षाओं में पंखे तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। नवीन शैक्षिक तकनीकी का प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों का पूर्णतया अभाव है। बहुत ही कम प्रशिक्षकों को सूचना व प्रौद्योगिकी की जानकारी है। विश्वविद्यालयों द्वारा कभी-कभी जाँच के नाम पर किसी टीम को महाविद्यालयों में भेजा जाता है तो ये महाविद्यालय अन्य कालेजों के शैक्षिक तकनीकी उपकरणों को अपने यहाँ लाकर अपने महाविद्यालयों को सुशोभित कर लेते हैं जिससे उनका काम तो हो जाता है परंतु बी.एड. छात्रों का नहीं।

2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा कार्यालय, वाराणसी-वर्ष 2011

3. वीर बहादुर सिंह, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

इन महाविद्यालयों द्वारा बी.एड. कर रहे छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति, स्कॉलरशिप का भी बंदरबाट समाज कल्याण विभाग, गाज़ीपुर, उत्तर प्रदेश[4] से मिलकर किया जाता है अर्थात् वह छात्रों को कभी नहीं दी जाती है। बी.एड. छात्रों द्वारा लाभकारी योजनाओं के बारे में पूछने पर ये महाविद्यालय उनके प्रायोगिक परीक्षा में अंक काटने की धमकी देते हैं। संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव व जिले के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के पास जाने पर कोई ठोस परिणाम छात्रों को नहीं मिलते हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने वाला विश्वविद्यालय यह दावा करता है कि छात्रों की काउंसिलिंग के दौरान जमा पाँच हज़ार रुपये लौटा दिये जाएँगे परंतु वह भी छात्रों को कभी भी लौटाए नहीं जाते हैं।

भारत में बी.एड. प्रशिक्षकों की समस्या यह है कि वे अधिक से अधिक रुपये के लालच में अपना अनुमोदन कई विश्वविद्यालयों में कराये हुए हैं, जिससे उन्हें व उनके साथियों को मानक के हिसाब से वेतन नहीं मिल पा रहा है। अगर वे सभी प्रशिक्षक अपना अनुमोदन सिर्फ़ एक विश्वविद्यालय में कराएँ तो ऐसे ढेर सारे बी.एड. कालेज प्राध्यापकों की कमी से बंद हो जाएँगे और सभी प्राध्यापकों को मानक के हिसाब से एक स्तरीय वेतन इन महाविद्यालयों को मजबूरन देना होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने भी इस ओर अपना ध्यान आकर्षित किया था और कहा था कि जल्द ही सभी प्राध्यापकों के नाम इंटरनेट से जोड़ दिए जाएँगे ताकि एक जगह पर एक ही प्रशिक्षक कार्यरत रहे और इस मकड़जाल से बचा जा सके।

इन सब समस्याओं की जानकारी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर व क्षेत्रीय अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, वाराणसी तथा स्थानीय प्रशासन को है परंतु इनके द्वारा भी कोई प्रभावी कदम शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों को सुधारने में नहीं उठाया जा रहा है। पिछले वर्ष विश्वविद्यालयों में माननीय कुलपति, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर द्वारा प्राध्यापकों की परेड का आयोजन करवाया गया था जिसमें उनको कितनी खामियाँ मिलीं, इसके साथ ही स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबंधकों की नींद भी उड़ गयी थी। परंतु इसे सत्र 2012-13 में बंद कर दिया। लेखक ने उक्त विवरण सात स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के अवलोकन के आधार पर दिया है। अगर हमारे महाविद्यालय इसी तरह से कुछ समय तक लगातार इसी तरह के शिक्षक-प्रशिक्षण देने में लिप्त रहे तो हमारे समाज में आने वाली पीढ़ी का क्या होगा?

उपरोक्त वर्णित समस्या से संबंधित धाँधली उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री व महाविद्यालय के प्रबंधक के कॉलेजों में भी हुई है। अमर उजाला समाचार पत्र वाराणसी में प्रकाशित खबरों के अनुसार वीएसएसडी कॉलेज, कानपुर; वंशी कॉलेज, बिदूर, कानपुर; हैबरा कॉलेज, इटावा; सीतापुर शिक्षा संस्थान, सीतापुर, ये सभी महाविद्यालय छत्रपति शाहूजी महाराज

4. समाज कल्याण विभाग, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश

विश्वविद्यालय, कानपुर से संबद्ध हैं। उपरोक्त महाविद्यालयों के बीपीएड संकाय में कई ऐसे प्राध्यापकों व विभागाध्यक्ष की नियुक्ति दिखाई जा रही है जो सही मायने में उपरोक्त महाविद्यालयों में कार्यरत हैं ही नहीं। पूरा फर्जीवाड़ा मान्यता बरकरार रखने के लिए किया जा रहा है। एनसीटीई के नियमों के मुताबिक बीपीएड की 50 सीटों की पढ़ाई की मान्यता दी जाती है। इन सभी छात्रों को पढ़ाने के लिए एक प्रोफ़ेसर, एक रीडर और पाँच लेक्चरर नियुक्त किये जाने चाहिए। इस मानक का पालन ज़्यादातर महाविद्यालय नहीं कर रहें हैं।[5]

उच्च शिक्षण संस्थाओं को एन.ए.ए.सी. (नैक) से मूल्यांकन कराकर उनकी गुणवत्ता में सुधार लाये जाने से संबंधित अध्यादेश को भी अभी पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं किया गया है। उच्च शिक्षा अधिकारी, उच्च शिक्षा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के अनुसार स्ववित्तपोषित कालेजों की संख्या 500 है जिसमें से सिर्फ एक स्ववित्तपोषित कालेज का सन् 2011–12 में एन.ए.ए.सी. (नैक) से मूल्यांकन कराया गया है जबकि सन् 2011–12 में नैक द्वारा मूल्यांकन हेतु निर्धारित लक्ष्य ग्यारह महाविद्यालयों का रखा गया था लेकिन उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश की उदासीनता से चलते अब तक सिर्फ़ दो स्ववित्तपोषित कालेजों का नैक द्वारा मूल्यांकन कराया गया, इससे यह सिद्ध होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का उच्च शिक्षा विभाग भी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। नैक द्वारा ग्रेडिंग करवाये जाने की सूचना अक्तूबर 2009 में कुलपति कार्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के बाहर चस्पा की गई है जिसका आज तक कोई असर नहीं देखा गया।[6]

उपसंहार

शिक्षक को समाज में आदर्श माना गया है। प्राचीन समय में शिक्षक ही पाठ्यक्रम का निर्धारण करता था एवं शिक्षा से संबंधित सभी निर्णय स्वयं लेता था। प्राचीन काल में राजा–महाराजा भी अपने सिंहासन से उठकर शिक्षक का सम्मान करते थे। वर्तमान समय में भी शिक्षक को कुछ एक अपवादों को छोड़कर उतना ही सम्मान मिलता है जितना प्राचीन समय में। वर्तमान समय में भारत सरकार ने अध्यापक प्रशिक्षण देने का कार्य सरकारी महाविद्यालयों के साथ–साथ स्ववित्तपोषित (प्राइवेट) कालेजों को भी सौंपा है जिसमें निरीक्षण करने व मान्यता देने का कार्य अध्यापक अथवा अध्यापक प्रशिक्षक ही करता है। निरीक्षण के नाम पर अध्यापक अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए ऐसे कालेजों को मान्यता की स्वीकृति दे देते हैं जो किसी भी रूप में अध्यापक–प्रशिक्षण के योग्य नहीं हैं। सरकार द्वारा गठित विभिन्न आयोगों के साथ–साथ हम अध्यापकों का कर्तव्य है कि ऐसे कालेज जो मानक के विपरीत उभर रहे हैं, उन्हें रोकने का पूरा प्रयास करें और उनमें हो रही अनियमित्ताओं के प्रति आवाज़ उठाएँ।

5. संवाददाता (2012, नवंबर 6) पूरा फर्जीवाड़ा अध्यापकों की नियुक्ति बरकरार, अमर उजाला, पेज 10
6. वीर बहादुर सिंह, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, वाराणसी